<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2022-हिं.अ.

दिनांक: 11.02.2023

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2022 को हुई अक्तूबर-दिसम्बर, 2022 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2022 को दोपहर 12.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई अक्तूबर-दिसम्बर, 2022 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेम सिंह
11.02.2023

(प्रेम सिंह तोमर)
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं
सदस्य-सचिव

<u>वितरण:</u>

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि:</u>

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-। (दिल्ली), त्रिकुट-॥, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2022 को अक्तूबर-दिसम्बर, 2022 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अक्तूबर-दिसम्बर, 2022 अवधि की बैठक दिनांक 29.12.2022 को दोपहर 12.00 बजे, प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक, एम्स एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/ अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. एम. श्रीनिवास, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ. संजीव लालवानी, चिकित्सा अधीक्षक एवं कुल-सचिव, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री देवनाथ साह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि:-श्री नरेश कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.), ए.सी.आर. प्रकोष्ठ एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री शिव शंकर सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संपदा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री कमल भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री विनोद कुमार, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्रीमती सरोज लाल, प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ एवं समन्वय प्रकोष्ठ	सदस्य
11.	श्रीमती रेणु बाला, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री प्रेमपाल, लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	सुश्री राशु कबतियाल, सहायक लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

14.	सुश्री सुशील कुमारी, सहायक लेखा अधिकारी, एम.एस.यू., एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री रोशन लाल भाटी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय के प्रतिनिधि:- श्री प्रशांत श्रीवास्तव, पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रेड- I, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग की प्रतिनिधि:- सुश्री वन्दना, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) के प्रतिनिधि:- श्री रजत कुमार, प्रोग्रामर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	श्री मनोहर आर्य, भंडार अधिकारी (नि.का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	श्री राजेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	श्री जोगिन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
22.	श्री अनिल कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
23.	श्री भूप सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ. के प्रतिनिधि:- श्री चन्द्रशेखर, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की प्रतिनिधि:- श्रीमती किरण, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केंद्र के प्रतिनिधि:- श्री शशिकांत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद के प्रतिनिधि:- श्री देवेन्द्र कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
28.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय अपनी पूर्व-नियोजित बैठक में व्यस्त होने के कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय

द्वारा समिति की बैठक निर्धारित समय अपराह्न 12.00 बजे शुरू न किए जाने पर नाराज़गी व्यक्त की गई तथा भविष्य में बैठक की कार्रवाई पूर्व-निर्धारित समय पर ही आरंभ करने तथा सभी संबद्ध सदस्यगण को समय पर बैठक में सम्मिलित होने के निदेश दिए गए।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 2 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि अगस्त, 2022 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण के ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 10 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि फरवरी, 2023 से आरंभ होने वाले हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के आगामी सत्र में 10 कर्मचारियों को हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु एवं 5 आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाना प्रस्तावित है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के फरवरी, 2023 से आरंभ हो रहे आगामी सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 3 संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक अन्यत्र चयन हो जाने के कारण संस्थान की सेवा छोड़ कर चले जाने के पश्चात इस रिक्त हुए पद पर भी नियमित आधार पर भर्ती होने तक 01 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की बेसिल के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जानी अपेक्षित थी लेकिन भर्ती प्रकोष्ठ की तरफ से इस पद पर अभी तक कोई तैनाती नहीं की गई है। इस संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि द्वारा समिति को सूचित किया गया कि संबंधित फाइल प्रभारी आचार्य (भर्ती) के पास है। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा त्वरित निर्णय लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) को फाइल को तुरंत उनके सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया और नियमित आधार पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 03 पदों पर भर्ती हेतु तत्काल विज्ञापन जारी करने के निदेश भी जारी किए गए।

उपर्युक्त के विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय निदेशक महोदय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती) को आदेश दिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आउटसोर्स आधार पर बेसिल के माध्यम से एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की तैनाती हिंदी अनुभाग में की जाए तथा अनुवादकों के रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 4 <u>संस्थान में राजभाषा पदों के पदनाम में संशोधन संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के पदनामों को क्रमश: कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। सदस्य-सचिव ने इस विषय में समिति को अवगत कराया कि हिंदी अनुभाग द्वारा इस संबंध में नवम्बर, 2021 में भर्ती प्रकोष्ठ को अनुरोध किया था। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तत्संबंधी फाइल शासी निकाय की भविष्य में होने वाली बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति द्वारा हिंदी कैडर के सभी पदों के पदनाम में नियमानुसार परिवर्तन करने हेतु भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाए। समिति के उक्त निर्णय को माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 5 <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान की वेबसाइट पर विभिन्न विभागों से संबंधित विषय-वस्तु को कंप्यूटर सुविधा द्वारा अपने स्तर पर ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुवाद एंजेसियों के पैनल से हिंदी रूपांतर करवाकर द्विभाषी रूप में अपलोड करते हुए संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि कंप्यूटर सुविधा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि लगभग 15 विभागों का द्विभाषीकरण हो गया है तथा 15 विभागों के

द्विभाषीकरण का कार्य प्रगति पर है और बाकी विभागों के द्विभाषीकरण का कार्य भी शीघ्र ही पूरा करा लिया जाएगा।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न विभागों से संबंधित अनुवाद कार्य की हिंदी अनुभाग द्वारा स्वयं मॉनीटरिंग की जाए क्योंकि कंप्यूटर सुविधा विभाग अभी संस्थान की वेबसाइट के सिलसिले में बहुत व्यस्त है। इस पर सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि कंप्यूटर सुविधा द्वारा पहले से ही अपने स्तर पर वेबसाइट से संबंधित सामग्री का हिंदी रूपांतर अनुवाद एजेंसियों से करवाया जा रहा है जिसकी जांच हिंदी अनुभाग द्वारा की जाती है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपान्तर हिंदी अनुभाग की निगरानी में होता आ रहा है, ठीक उसी प्रकार संस्थान की वेबसाइट संबंधी हिंदी रूपांतर कार्य भी (आउटसोर्स आधार पर) हिंदी अनुभाग की निगरानी में संचालित किया जाए। इसके लिए कंप्यूटर सुविधा द्वारा संबद्ध विभागों से प्राप्त सामग्री का मानक रूप हिंदी अनुभाग को प्रेषित किया जाएगा जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा गठित पैनल के माध्यम से हिंदी अनुवाद करवाकर मानक हिंदी रूप कंप्यूटर सुविधा विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इस मद पर होने वाला व्यय कंप्यूटर सुविधा द्वारा वहन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/कम्प्यूटर सुविधा

मद सं. 6 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही के अनुसार हिंदी पत्राचार 63.14% ही है।

इस संबंध में विचार-विमर्श के दौरान माननीय निदेशक महोदय ने समिति को बताया कि वैसे तो आजकल सबकुछ कार्य ई-ऑफिस आधारित ही होता है। पत्राचार की प्रतिशतता को बढ़ाना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। संस्थान के प्रशासनिक कामकाज में प्रयोग में आने वाले फार्म आदि के हिंदी रूपान्तर संस्थान की वेबसाइट पर स्थायी रूप से अपलोड करवा दिए जाएं और सभी संबद्ध अधिकारी/कर्मचारीगण इन फार्मों का प्रयोग करते हुए हिंदी के कामकाज में बढ़ोतरी में सहयोग प्रदान करें। जो कार्य सहज-सुलभ हैं तथा हिंदी में हो सकते हैं उन कार्यों को केवल हिंदी में ही किया जाए और हिंदी में मूल पत्राचार की प्रतिशतता बढ़ाई जाए।

माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी विभागों/अनुभागों/ केंद्रों को परामर्श दिया कि यदि सभी यह संकल्प कर लें कि हमें शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करना है और प्रत्येक 4 पत्रों में से 3 पत्र केवल हिंदी में तैयार करने ही हैं तो हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत बढ़ जाएगा।

उन्होंने यह भी परामर्श दिया कि अवकाश संबंधी आवेदन पत्र और कार्यग्रहण रिपोर्ट आदि के प्रोफार्मा द्विभाषी रूप में तैयार करके सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों के प्रयोग हेतु संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करवा दिए जाएं ताकि सब लोग हिंदी में ही काम करने को प्राथमिकता दें।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों द्वारा निदेशक महोदय की भावना को ध्यान में रखते हुए तिमाही प्रगति रिपोर्ट में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए पत्राचार में और वृद्धि की जाए और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी में पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के भरसक प्रयास किए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभाग/केंद्र

मद सं. 7 माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के किए गए राजभाषायी निरीक्षण के दौरान संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासनों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करने संबंधी।

इस विषय में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 30.06.2022 को संस्थान का राजभाषायी निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान एम्स, नई दिल्ली द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को कुछ आश्वासन दिए गए थे, जिन पर एम्स, नई दिल्ली द्वारा अनुपालनात्मक कार्रवाई निष्पादित करने तत्संबंधी रिपोर्ट माननीय समिति सचिवालय को दिनांक 23.12.2022 को प्रेषित कर दी गई है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा इस विषय में अनुपालनात्मक कार्रवाई करने हेतु निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से दिनांक 20.12.2022 को एक आदेश भी जारी किया गया है।

इस विषय में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों पर संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा की गई अनुपालनात्मक कार्रवाई की समीक्षा करने हेतु वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रत्येक माह संबद्ध विभागों/अनुभागों/केन्द्रों की एक बैठक का आयोजन

किया जाए। माननीय निदेशक महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - संस्थान के सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केन्द्र/हिंदी अनुभाग

मद सं. 8 हिंदी अनुभाग के C-II/22 (विस्तार कार्यालय) हेतु फर्नीचर एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाने संबंधी।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि हिंदी अनुभाग में स्टाफ के बैठने के स्थान की कमी के कारण हिंदी अनुभाग को C-II/22 फ्लैट आबंटित किया गया है तथा वहां के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए भंडार अनुभाग (नि.का.) को अनुरोध किया गया था लेकिन भंडार अनुभाग द्वारा अभी तक पूरा फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अध्यक्ष महोदय ने भंडार अनुभाग को इस विषय में तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए।

कार्रवाई - भंडार अधिकारी (नि.का.)

मद सं. 9 संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के हिंदी रूपांतर के समय पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

कुल-सचिव एवं चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के हिंदी रूपान्तर संबंधी नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने को कहा। समिति द्वारा पूछे जाने पर सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि वार्षिक रिपोर्ट के अभी तक 57 विभाग ही हिंदी अनुवाद के लिए उपलब्ध हो पाए हैं तथा वार्षिक रिपोर्ट के 13 विभाग हिंदी अनुवाद हेतु अभी मिलने बाकी हैं।

इस संबंध में कुल-सचिव महोदय ने वार्षिक रिपोर्ट के बाकी 13 विभाग भी हिंदी अनुभाग को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया तथा इस संबंध में दिनांक 29.12.2022 को ही एक बैठक का आयोजन करने का आश्वासन दिया ताकि वार्षिक रिपोर्ट के बाकी विभाग भी हिंदी अनुवाद हेतु उपलब्ध कराए जा सकें। सदस्य-सचिव ने समिति को आश्वासन दिया कि जैसे ही हिंदी अनुभाग को वार्षिक रिपोर्ट के बाकी अध्याय हिंदी रूपांतर हेतु मिलते हैं तो उनका हिंदी रूपांतर भी शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष जाहिर किया और कुल-सचिव और वरिष्ठ हिंदी अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर कार्य शीघ्र-अतिशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया।

कार्रवाई- कुल-सचिव/हिंदी अनुभाग

मद सं. 10 <u>अन्य मदों पर चर्चा संबंधी।</u>

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निदेशानुसार संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2022 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त में निम्नलिखित बिन्दु भी सम्मिलित किए जाने अपेक्षित हैं:-

1. **<u>कृत कार्रवाई:</u>**

   संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29.12.2022 को आयोजित हुई बैठक की विभिन्न मदों पर अपेक्षित अनुपालनात्मक कार्रवाई निष्पादित की जाएगी।

2. **<u>हिंदी की मासिक बैठक:</u>**

   संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 34 अनुभागों/केंद्रों द्वारा हिंदी पत्राचार में बढ़ोतरी/वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किए गए कामकाज की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी।

3. **<u>वार्षिक एवं दीर्घावधिक योजनाएं - क्रियाकलाप/गतिविधियां:</u>**

   संस्थान में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों और स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसरण में हिंदी अनुभाग द्वारा वर्ष भर किए जाने वाले कार्यकलापों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

4. **<u>कैडर समीक्षा:</u>**

   संस्थान में हिंदी कैडर की समीक्षा तथा हिंदी के नए पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव हिंदी अनुभाग द्वारा भर्ती प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. **<u>ई-ऑफिस में नोटिंग/ड्राफ्टिंग का सत्यापन:</u>**

   हिंदी अनुभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों की ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं के तहत प्राप्त ई-ऑफिस में नोटिंग/ड्राफ्टिंग संबंधी कार्य का सत्यापन किया जाएगा।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।